श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.13 को समाहरणालय सभाकक्ष में भूमि उपलब्धता से संबंधित विशेष समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति -

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री राजीव प्रसाद सिंह रंजन, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
3. श्री अजय कुमार झा, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।
5. श्री आशीष नारायण, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर।
6. श्री परमानन्द साह, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खड़गपुर।
7. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मुंगेर।
8. लीड बैंक प्रबंधक, मुंगेर।
9. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला।
10. सभी अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला।
11. सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुंगेर जिला।
12. सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मुंगेर जिला। (धरहरा को छोड़कर)

आज की विशेष बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य निम्न दो कार्यों को सुनिश्चित करने हेतु आहूत की गयी है :-

1. नवसृजित भवनहीन विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्धता का प्रस्ताव तैयार करना।
2. वार्डवार परिसीमन के उपरान्त भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करना।

उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नवसृजित विद्यालयों की उपलब्ध करायी गयी सूची में भिन्नता होने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से नवसृजित भवनहीन विद्यालयों की सूची में आ रहे अन्तर को शुद्ध किया जाये। तदोपरान्त बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिये गये :-

<u>भवनहीन नवसृजित विद्यालयों के लिये भूमि उपलब्धता :-</u>

आप अवगत हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दो विद्यालयों के बीच की दूरी 01 किलोमीटर प्रावधानित की गयी है ताकि उस क्षेत्र का कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर नहीं रहे, परन्तुक कई विद्यालय ऐसे भी हैं जिनकी आवश्यकता उस पोषक क्षेत्र में नहीं है एवं उनका कोई भवन भी नहीं है तो विभागीय निदेश के आलोक में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर

बंद कर दिया जाये एवं आवश्यकता आधारित समीपवर्ती विद्यालयों के साथ टैग कर संचालित कराया जाये।

प्रखंडान्तर्गत नवसृजित भवनहीन विद्यालयों की उपलब्ध करायी गयी सूची के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पोषक क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करायेंगे।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सदर, जमालपुर, धरहरा एवं बरियारपुर प्रखंडों में भूमि उपलब्धता संबंधी कार्य धीमी गति से संचालित हो रही है। इस निमित्त सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि भवनहीन नवसृजित विद्यालयों के लिये उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार कम-से-कम 10% साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर प्राथमिकता देते हुये भूमि का प्रस्ताव तैयार कर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भूमि उपलब्धता :-

बैठक में उपस्थित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वार्डवार परिसीमन के उपरान्त भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भेजे जाने वाले भूमि का प्रस्ताव प्रत्येक वार्ड में एक ही होना चाहिये। इसके अतिरिक्त संचालित भवनविहीन केन्द्रों की जमीन चिन्हित करने के लिये अंचल अधिकारी के साथ घूमकर जमीन का स्पष्ट विवरण अंकित कर प्रस्ताव भेजेंगे।

बैठक के दौरान बताया गया कि सदर ग्रामीण में भवनहीन आंगनबाड़ी 116, धरहरा के 103, बरियारपुर के 85, असरगंज के 54 में क्रमशः 08, 26, 18 एवं 13 के भूमि का प्रस्ताव तैयार है जिसे यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

उपरोक्त कार्य में अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाती है कि मार्च माह के अन्त तक निश्चित रूप से दिये गये लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु साप्ताहिक बैठक कर कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चित करेंगे।

BIGWIS एवं KCC :-

समीक्षा के दौरान लीड बैंक प्रबंधक, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि BIGWIS एवं KCC के लिये अंचल के माध्यम से बैंक को भेजे जाने वाले भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) पर भूमि स्वामित्व का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किये जाने के कारण